



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 भाद्र, 1946 (श०)

संख्या - 580 राँची, मंगलवार, 10 सितम्बर, 2024 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

संकल्प

4 सितम्बर, 2024

पत्रांक संख्या-11/आ०-05/2022-5283--

कृपया पढ़ें :-

- कारा निरीक्षणालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-175, दिनांक 21.01.2022 ।
- गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखण्ड, राँची का संकल्प सं०-1955, दिनांक-28.04.2023 ।
- संचालन पदाधिकारी का पत्रांक-230, दिनांक 22.09.2023 ।

श्री सुनील कुमार, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, गुमला के विरुद्ध कारा निरीक्षणालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-175, दिनांक 21.01.2022 द्वारा प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये:-

आरोप सं०-1:- श्री सुनील कुमार, मंडल कारा, गुमला में अधीक्षक के पद पर पदस्थापन के दौरान प्रतिबंधित सामग्री शराब, सिगरेट, कैमरा, नोटों की गड़्डी को कारा के अंदर प्रवेश कराया गया, जिसके कारण कारा में संसीमित कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा द्वारा अपने साथियों के साथ 01 जनवरी 2022 को कारा में शराब पार्टी किया गया तथा शराब पार्टी की तस्वीर समाचार पत्रों में

प्रकाशित हुआ, जिसमें राज्य की छवि धूमिल हुई। अतएव कारा हस्तक नियम 60 एवं 171 का उल्लंघन किया गया।

आरोप सं०-2:- कारा निरीक्षणालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2548, दिनांक-29.10. 2021 एवं पत्रांक-2179, दिनांक-15.09.2021 द्वारा कारा अधीक्षक को सप्ताह में कम से कम दो बार कारा की औचक तलाशी / छापामारी किये जाने हेतु निर्देश दिया गया था। परंतु आपके द्वारा उक्त आदेश का निर्वहन नहीं किया गया, जिसके कारण प्रतिबंधित सामग्री कारा में प्रवेश हुआ तथा इस प्रकार की शराब पार्टी कारा के अंदर की गई।

आरोप सं०-3- आपको एक स्रोत से अपुष्ट सूचना प्राप्त हुई थी कि कारा के अंदर प्रतिबंधित वस्तुओं का प्रयोग कर आपत्तिजनक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, की जानकारी रहने के बाद भी आपके द्वारा कारा में नियमित तलाशी नहीं की गई तथा आसूचना तंत्र का अभाव देखा गया। आपका कारा कर्मियों के ऊपर कोई पकड़ परिलक्षित नहीं दिखा।

आरोप सं०-4- श्री सुनील कुमार, अधीक्षक, मंडल कारा, गुमला द्वारा पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा के अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवा आचार नियमावली 3 (1) (i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक-509, दिनांक 17.02.2022 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-1955, दिनांक-28.04.2023 द्वारा इनके विरुद्ध संचालीत की गयी, जिसमें श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी, श्री विनोद कुमार के पत्रांक-230, दिनांक 22.09.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित प्रपत्र 'क' में प्रतिवेदित आरोप सं०-1, 2, 3 एवं 4 को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरुद्ध आरोप, इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान संचालन पदाधिकारी के मंतव्य एवं कारा महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची के मंतव्य की समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के भाग V के नियम-14 (iv) के तहत "03 (तीन) वर्षों तक असंचयात्मक प्रभाव से वेतन वृद्धि पर रोक, जिसका प्रतिकूल प्रभाव पेंशन तथा परिवीक्षाधीन की सेवा संपुष्टि पर नहीं पड़ेगा का दण्ड अधिरोपित करने हेतु विभागीय पत्रांक-3017, दिनांक 14.05.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री कुमार के पत्रांक-1950, दिनांक 01.06.2024 द्वारा कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा मुख्यतः पूर्व में समर्पित बचाव बयान में दिये गये तथ्यों को ही

दुहराया गया है। पुनः उनके द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब से ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है, जिसके आधार पर उनके विरुद्ध प्रस्तावित दण्ड में कोई परिवर्तन किया जा सके।

अतः श्री सुनील कुमार, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, गुमला सम्प्रति काराधीक्षक, मंडल कारा, चाईबासा को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के भाग V के नियम-14 (iv) के तहत "03 (तीन) वर्षों तक असंचयात्मक प्रभाव से वेतन वृद्धि पर रोक, जिसका प्रतिकूल प्रभाव पेंशन तथा परिवीक्षाधीन की सेवा-संपुष्टि पर नहीं पड़ेगा " का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ऐनी रिन्कु कुजूर,
सरकार के अवर सचिव।
